भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1191

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवसाद, चिंता और तनाव के मामले

1191. श्रीमती माला राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि देश में चौबीस से पैंतीस वर्ष के आयु वर्ग के पचास प्रतिशत युवा अवसाद, चिंता और तनाव से पीड़ित हैं और पैंतीस से पंतालीस वर्ष की आयु के पेंतालीस प्रतिशत लोग भी इसी समस्या से पीड़ित हैं;
(ख)यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा लोगों को ऐसे व्यापक अवसाद, चिंता और तनाव से बचाने और देश में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बडे़ दुष्प्रभावों से उबारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग): सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनएमएचएस), बेंगलुरू के माध्यम से वर्ष 2016 में देश के 12 राज्यों में भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस), कराया जिसके अनुसार 18-49 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूरोटिक एवं तनाव संबंधी विकारों की व्याप्तता 3% से 4.65% है।

मानसिक विकारों के भार के समाधान के लिए, सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत प्रदान की जाने वाली गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक उपाय, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की सतत परिचर्या

और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले अंतरंग सुविधा का प्रावधान है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में विद्याथयों की दाखिला क्षमता में वृद्धि करने तथा विशिष्ट स्तर पर उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का 22 एम्स में भी प्रावधान है। पीएमजेएवाई के तहत भी ये सेवाएं उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.6 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक-पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मानसिक बीमारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप एनएमएचपी का एक अभिन्न अंग हैं। जिला स्तर पर, सामुदायिक भागीदारी सहित तथा समुदाय, विद्यालयों, जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोग फ्लेक्सी -पूल के तहत डीएमएचपी के तहत प्रत्येक जिले को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं। डीएमएचपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों और रेडियो में जागरूकता संदेश, नुक्कड़ नाटक, दीवारें पर पेंटिंग आदि जैसी विभिन्न आईईसी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक उपलब्धता में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। दिनांक 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 47 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 6,28,000 से अधिक कॉल हैंडल की गई हैं।

*****